प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

कोरम: माननीय श्री टी.पी. शर्मा एवं माननीय श्री आर.एल. झंवर, न्यायाधीशगण

दांडिक अपील क्रमांक 572/2004

विनीता सिंह

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

दांडिक अपील क्रमांक 559/2008

अनिल शर्मा

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

विचार हेतु निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

10.02.2011

माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एल. झंवर

सही/-

आर.एल. झंवर

न्यायाधीश

10.02.2011

निर्णय की उद्घोषणा हेतु दिनांक 10.02.2011 को सूचीबद्ध करें।

सही/-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ

कोरम: माननीय श्री टी.पी. शर्मा एवं माननीय श्री आर.एल. झंवर, न्यायाधीशगण

दांडिक अपील क्रमांक 572/2004

अपीलार्थी : विनीता सिंह उम्र 22 वर्ष, पति स्व. अशोक कुमार सिंह
(अभिरक्षा में) निवासी बिशुनपुर, थाना अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, करतला जिला कोरबा (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दांडिक अपील क्रमांक 559/2008

अपीलार्थी : अनिल शर्मा पिता जय नारायण शर्मा उम्र लगभग 22 वर्ष,
(अभिरक्षा में) निवासी: बड़े बांका, थाना: कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना प्रभारी, करतला जिला कोरबा (छ.ग.)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के तहत अपीलें।

उपस्थित:-

दांडिक अपील क्रमांक 572/2004 में अपीलार्थी की ओर से श्री एच.वी. शर्मा, अधिवक्ता।

दांडिक अपील क्रमांक 559/2008 में अपीलार्थी की ओर से श्री अभय तिवारी, अधिवक्ता

राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से श्री श्री डी.के. ग्वालरे, शासकीय अधिवक्ता सहित श्री संजीव कुमार अग्रवाल, पैनल अधिवक्ता।

.....

<u>निर्णय</u>

(दिनांक 10.02.2011 को पारित)

न्यायमूर्ति श्री टी.पी. शर्मा द्वारा न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय पारित किया गया:-

1. अपीलार्थी विनिता सिंह एवं अनिल शर्मा की ओर से प्रस्तुत दांडिक अपील क्रमांक 572/2004 एवं 559/2008, जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोरबा द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 356/2003 में दिनांक 29.03.2004 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं दंडादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं, का निराकरण इस समान निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

2. उपरोक्त दोनों अपीलों के माध्यम से, अपीलार्थीगण ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोरबा द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 356/2003 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंड के आदेश दिनांक 29.3.2004 की वैधता और औचित्यता को चुनौती दी है, जिसके तहत विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी अनिल शर्मा द्वारा सह-अपीलार्थी विनीता सिंह के साथ षडयंत्र के तहत समान आशय से अशोक सिंह की हत्या की श्रेणी में आने वाले आपराधिक मानव वध, दांडिक मामले के साक्ष्यों को छुपाने और मृतक की मृत्यु के समय उसके कब्जे वाली संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग का दोषी पाते हुए, अपीलार्थी अनिल शर्मा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120-ख, 201 और 404 के तहत और अपीलार्थी विनीता सिंह को धारा 302/34, 120-ख, 201/34 और 404 के तहत दोषसिद्ध किया है। उन्हें आजीवन कारावास और 1000/- रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास; आजीवन कारावास और 100/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर पंद्रह दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास; तीन वर्ष का सश्रम कारावास और 300/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास और तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा 300/- रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3. दोषसिद्धि को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि किसी भी प्रकार के न होने पर भी विचारण न्यायालय ने उपर्युक्तानुसार अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध कर दंडित करने की अवैधता की है।

4. अभियोजन के मामले के अनुसार, अपीलार्थी विनिता सिंह, जो मृतक अशोक सिंह की पत्नी है, ग्राम गंगापुर स्थित अपने ससुराल में अशोक सिंह के साथ रहती थी। अपीलार्थी विनिता सिंह का सह-अपीलार्थी अनिल शर्मा के साथ प्रेम संबंध था और अनिल शर्मा अक्सर अपीलार्थी विनिता सिंह के घर आता-जाता था। दोनों अपीलार्थीगण ने मृतक अशोक सिंह की हत्या करने के लिए एक अवैध करार

किया और षड्यंत्र के तहत तथा उक्त षड्यंत्र को आगे बढ़ाते हुए दिनांक 27.01.2003 को रात्रि लगभग 10 बजे अपीलार्थी अनिल शर्मा, अपीलार्थी विनिता सिंह के घर से मृतक अशोक सिंह को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया। रास्ते में अपीलार्थी अनिल शर्मा ने मोटरसाइकिल रोककर चाकू से वार कर अशोक सिंह को प्राणघातक चोटें पहुंचाईं। इसके पश्चात उसने अशोक सिंह के शव को सड़क के किनारे घसीट कर ले जाकर रखा और दांडिक मामले के साक्ष्य को नष्ट करने के उद्देश्य से, अपीलार्थी विनिता सिंह के साथ षड्यंत्र के तहत, उसके चेहरे पर पेट्रोल डालकर उसे बुरी तरह जला दिया। इसके बाद दोनों अपीलार्थीगण ने मृतक की मोटरसाइकिल बेच दी। षड्यंत्र को आगे बढ़ाते हुए अपीलार्थी विनिता सिंह अंबिकापुर में गिरिजनंद सिंह (अ.सा.-3) के घर गई और उसे बताया कि अशोक सिंह मोटरसाइकिल से कहीं गया है, परंतु दिनांक 27 जनवरी 2003 से वह वापस नहीं लौटा। गिरिजनंद सिंह (अ.सा.-3) ने यही बात मृतक अशोक सिंह के पिता लक्ष्मण सिंह (अ.सा.-1) को बताई। लक्ष्मण सिंह ने अपने पुत्र की तलाश की और तत्पश्चात थाना जयनगर जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। वह अपीलार्थी विनिता सिंह के घर भी गया, जहाँ विनिता सिंह ने उसे बताया कि दिनांक 27.01.2003 को प्रातः लगभग 6 बजे अशोक सिंह मोटरसाइकिल से घर से निकला था और उसके बाद वापस नहीं लौटा। गुमशुदगी की रिपोर्ट दिनांक 11.04.2003 को प्रदर्श पी./14 के तहत दर्ज की गई। दिनांक 29.01.2003, अर्थात घटना के मात्र दो दिन बाद, चचिया और तुलिपाली के बीच एक पुरुष का जला हुआ शव देखा गया। रूपदास (अ.सा.-8) ने इसकी सूचना थाना करतला में मर्ग सूचना के रूप में प्रदर्श पी./6 के अंतर्गत दी। विवेचना अधिकारी ने साक्षियों को बुलाकर अज्ञात व्यक्ति के शव का पंचनामा प्रदर्श पी./7 के अंतर्गत तैयार किया तथा शव पर पाए गए लक्षणों का वर्णन किया, जिससे यह प्रकट होता है कि गर्दन, सीने, कोहनी के जोड़, जांघ तथा शरीर के विभिन्न भागों पर धारदार हथियार से लगी चोटें पाई गई थीं। शव जला हुआ था। घटनास्थल से रक्तरंजित एवं साधारण मिट्टी, जूतों की जोड़ी, मोज़े, आंशिक रूप से जला हुआ स्वेटर तथा अन्य वस्तुएँ प्रदर्श पी./9 के अंतर्गत जब्त की गईं। शव का फोटोग्राफ वस्तु (आर्टिकल) -10 के रूप में लिया गया। शव को शवपरीक्षण हेतु प्रदर्श पी./27 के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, करतला भेजा गया। डॉ. एस.ए. सिद्दीकी (अ.सा.-2) ने प्रदर्श पी./2 के अंतर्गत शव परीक्षण किया और निम्नलिखित चोटें/लक्षण पाए—

(i) शव छाती तक जला हुआ था।

(ii) शव पर कुल तेरह चोटें पाई गईं।

(iii) गर्दन, ठोड़ी, बाएँ कंधे, दाएँ पैर तथा पीठ पर चोटें पाई गईं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

चोटें धारदार हथियार से कारित की गई थीं तथा मृत्यु की प्रकृति मानववध की थी। करतला पुलिस द्वारा अज्ञात व्यक्ति की हत्या से संबंधित अपराध की विवेचना की गई और प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी./18 दर्ज की गई। विवेचना के दौरान थाना जयनगर पुलिस द्वारा अपीलार्थीगण के संबंध में थाना करतला को सूचना दी गई, जिसके पश्चात घटनास्थल से बरामद कपड़े एवं वस्तुओं को पहचान हेतु प्रस्तुत किया गया। लक्ष्मण सिंह (अ.सा.-1) ने उक्त कपड़ों एवं वस्तुओं को प्रदर्श पी./1 के अंतर्गत अशोक सिंह के कपड़े एवं वस्तुएँ होने के रूप में पहचाना। अभियुक्त अनिल शर्मा को अभिरक्षा में लिया गया, जहाँ उसने मोटरसाइकिल एवं चाकू के संबंध में प्रकटीकरण बयान प्रदर्श पी./13 के अंतर्गत दिया। अपीलार्थी अनिल शर्मा के निशानदेही पर चाकू को प्रदर्श पी./14 के तहत जब्त किया गया। यामाहा क्रक्स मोटरसाइकिल क्रमांक CG-15-2191 को अपीलार्थी अनिल शर्मा के निशानदेही पर डाकेश्वर कुमार से प्रदर्श पी./16 के अंतर्गत जब्त किया गया, साथ ही उसका पंजीयन एवं बीमा पत्र क्रमशः वस्तु (आर्टिकल) -8 एवं 9 के रूप में जब्त किए गए। होटल पंजी को प्रदर्श पी./11 के अंतर्गत जब्त किया गया तथा उसकी प्रविष्टि की प्रति (आर्टिकल) -7 है। घटनास्थल का पंचनामा प्रदर्श पी./19 के अंतर्गत तैयार किया गया। जयनारायण शर्मा सहित तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी गिरफ्तारी पत्रक क्रमशः प्रदर्श पी./20, पी./21 एवं पी./22 हैं। दिनांक 16.03.2003 को दोनों अपीलार्थी सुरेन्द्र कुमार (अ.सा.-14), जो ऑटो पार्ट्स की दुकान चलाता है, की दुकान पर यामाहा क्रक्स मोटरसाइकिल की मरम्मत कराने गए। उस समय अपीलार्थी अनिल शर्मा ने अपना परिचय अशोक सिंह के रूप में दिया और मोटरसाइकिल की मरम्मत कराने का अनुरोध किया। मोटरसाइकिल की मरम्मत के पश्चात अपीलार्थीगण ने मोटरसाइकिल बेचने की मंशा व्यक्त की। इससे पूर्व सुरेन्द्र कुमार के मित्र डाकेश्वर कुमार (अ.सा.-13) ने मोटरसाइकिल खरीदने की इच्छा जताई थी, अतः सुरेन्द्र कुमार (अ.सा.-14) ने डाकेश्वर कुमार (अ.सा.-13) को सूचित किया कि वर्तमान अपीलार्थी अपनी मोटरसाइकिल बेचना चाहता है। मोटरसाइकिल के क्रय के संबंध में बारपाली में बातचीत हुई और अंततः वर्तमान अपीलार्थी अनिल शर्मा, जिसने स्वयं को अशोक सिंह बताया था, बाल्को गया, जहाँ 18,500/- रुपये में मोटरसाइकिल बेचने पर सहमति हुई। डाकेश्वर कुमार (अ.सा.-13) ने तत्काल 15,000/- रुपये वर्तमान अपीलार्थी अनिल शर्मा को अदा किए तथा शेष राशि वाहन स्वामी के हस्ताक्षर आरटीओ से प्राप्त होने के पश्चात देने पर सहमति हुई। मोटरसाइकिल डाकेश्वर कुमार (अ.सा.-13) को सौंप दी गई। अपीलार्थीगण को कागजातों पर हस्ताक्षर कराने हेतु कोरबा बस स्टैंड आने को कहा गया था तथा उक्त कागजात प्राप्त होने के पश्चात शेष राशि का भुगतान किया जाना था। इस संबंध में दस्तावेज़ प्रदर्श पी./12 निष्पादित किया गया, किन्तु इसके बाद अपीलार्थी कोरबा बस स्टैंड नहीं आए। दिनांक

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

29.03.2003 को अपीलार्थी अनिल शर्मा सह-अपीलार्थी विनिता सिंह के साथ प्रताप लॉज, कटघोरा गया, जहाँ वे दिनांक 31.03.2003 तक ठहरे। उन्होंने स्वयं को पारिवारिक सदस्य बताया और उनकी प्रविष्टि वस्तु (आर्टिकल)-7 में दर्ज की गई। जब्त वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण हेतु प्रदर्श पी./23 के अंतर्गत भेजा गया तथा अपीलार्थी अनिल शर्मा से बरामद चाकू पर रक्त की उपस्थिति की पुष्टि प्रदर्श पी./24 के माध्यम से हुई।

5. साक्षियों के कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए और विवेचना पूर्ण होने के पश्चात अभियोग-पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कोरबा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने तत्पश्चात प्रकरण को सत्र न्यायालय, कोरबा को उपार्पित कर दिया, जहाँ से यह प्रकरण विचारण हेतु अंतरण पर प्राप्त होकर माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोरबा के समक्ष आया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. अभियुक्त/अपीलार्थीगण के दोष को सिद्ध करने हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा कुल इक्कीस साक्षियों का परीक्षण किया गया। अभियुक्त/अपीलार्थीगण का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत परीक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध आए परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से इंकार किया तथा स्वयं को निर्दोष बताते हुए प्रश्नाधीन अपराध में झूठा फँसाए जाने का अभिवाक किया। अपीलार्थीगण की ओर से बचाव पक्ष का साक्षी दुर्ग प्रसाद राठिया (ब.सा.-1) का परीक्षण किया गया, जिसने कथन दिया कि जब वह जिला पंचायत की बैठक में सम्मिलित होकर कुदामुरा से लौट रहा था, तब वह एवं संतोष मिश्रा थाना करतला के निरीक्षक द्वारा इस बहाने रोके गए कि उन्होंने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है तथा उनसे चाकू बरामद किया गया है और उनसे कागजों पर हस्ताक्षर कराया गया, जबकि वास्तव में उन्होंने किसी प्रकार का चाकू नहीं देखा।

7. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोरबा ने उपर्युक्तानुसार अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध कर दंडित किया।

8. हमने दांडिक अपील क्रमांक 572/2004 में अपीलार्थी की ओर से उपस्थित श्री एच.वी. शर्मा, दांडिक अपील क्रमांक 559/2008 में अपीलार्थी की ओर से उपस्थित श्री अभय तिवारी, तथा

राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री डी.के. ग्वालरे एवं पैनल अधिवक्ता श्री संजीव कुमार अग्रवाल को सुना तथा आक्षेपित निर्णय एवं विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया।

9. अपीलार्थी विनिता सिंह की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एच.वी. शर्मा ने दृढतापूर्वक तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि उसके पति अशोक सिंह के घर से चले जाने के दो दिन के भीतर ही उसने अशोक सिंह के चचेरे भाई गिरिजनंद सिंह (अ.सा.-3) को इसकी सूचना दे दी थी, जिसने तुरंत ही मृतक अशोक सिंह के पिता लक्ष्मण सिंह को यह बात बता दी थी, किंतु अशोक सिंह के पिता ने कोई गंभीरता नहीं दिखाई और न ही अपने पुत्र की तलाश के लिए कोई प्रयास किया। अपीलार्थी विनिता सिंह असहाय स्थिति में थी। गुमशुदगी रिपोर्ट के अनुसार लक्ष्मण सिंह ने दिनांक 11.04.2003 को, अर्थात तीन माह से अधिक समय बीत जाने के पश्चात, रिपोर्ट दर्ज कराई। ऐसी परिस्थितियों में यदि अपीलार्थी ने सह-अपीलार्थी अनिल शर्मा से कोई सहायता ली भी हो, तो वह किसी भी प्रकार का अपराध नहीं बनता, क्योंकि अपने पति के तीन–चार माह से लापता रहने के बावजूद जब परिवार के सदस्यों द्वारा कोई सहायता या सहयोग नहीं दिया गया, तब वह अन्य व्यक्तियों से सहायता लेने के लिए विवश थी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य प्रथम दृष्टया भी इस संदेह के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि अपीलार्थीगण ने उक्त अपराध कारित किया हो। अभियोजन पक्ष संदेह से परे अपराध सिद्ध करने में पूर्णतः असफल रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अपीलार्थी अनिल शर्मा की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अभय तिवारी ने दृढतापूर्वक तर्क देते हुए कहा कि वर्तमान अपीलार्थी को मात्र परिस्थितिजन्य साक्ष्य तथा षड्यंत्र के आधार पर दोषसिद्ध किया गया है और अभियोजन पक्ष द्वारा उसके विरुद्ध कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य एकत्रित नहीं किया गया है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर किसी अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष को निम्नलिखित परिस्थितियों को सिद्ध करना आवश्यक होता

(i) जिन परिस्थितियों के आधार पर दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे पूर्ण रूप से सिद्ध होनी चाहिए। संबंधित परिस्थितियाँ “हो सकती हैं ” नहीं, बल्कि “अवश्य हों ” के स्तर तक स्थापित होनी चाहिए;

(ii) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोषी होने की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात् वे किसी अन्य परिकल्पना से, अभियुक्त के दोषी होने के अतिरिक्त, समझाए जाने योग्य नहीं होने चाहिए;

(iii) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति एवं प्रवृत्ति की होनी चाहिए;

(iv) वे सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना के अतिरिक्त प्रत्येक संभावित अन्य परिकल्पना को पूर्णतः अपवर्जित करती हों; तथा

(v) साक्ष्यों की श्रृंखला इतनी पूर्ण एवं अखंड होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप किसी भी युक्तिसंगत निष्कर्ष की कोई संभावना न रहे और सभी मानवीय संभावनाओं में यह स्पष्ट हो जाए कि उक्त कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया है।

षड्यंत्र सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष को यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि दोनों अपीलार्थीगण को आपस में करार करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध था, उन्होंने वास्तव में किसी अपराध को करने के लिए आपसी करार किया तथा उस करार को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कोई अपराध कारित किया। अभियोजन पक्ष द्वारा संकलित साक्ष्यों के अनुसार, अशोक सिंह दिनांक 27.01.2003 से अपने घर से लापता था, दिनांक 29.01.2003 को एक जला हुआ एवं आहत शव मिला, जिसकी पहचान शव बरामदगी के दिन नहीं हो सकी। यहां तक कि डॉ. एस.ए. सिद्दीकी (अ.सा.-2) के साक्ष्य के अनुसार भी, अत्यधिक जले होने के कारण शव की पहचान संभव नहीं थी। इसके पश्चात डाकेश्वर कुमार से मोटरसाइकिल बिक्री नामा प्रदर्श पी./12 सहित बरामद की गई, जिससे यह प्रकट होता है कि वाहन किसी अशोक सिंह द्वारा बेचा गया था, न कि अपीलार्थी विनिता सिंह अथवा अनिल शर्मा द्वारा। लॉज के अभिलेख के अनुसार अनिल शर्मा अपनी पत्नी के साथ लॉज में ठहरा था, किंतु अभियोजन यह सिद्ध नहीं कर सका कि अपीलार्थी अनिल शर्मा वर्तमान अपीलार्थी विनिता सिंह के साथ ठहरा था अथवा उसने विनिता सिंह को अपनी पत्नी के रूप में परिचित कराया था। परिवार शब्द में केवल पत्नी ही नहीं, बल्कि परिवार के अन्य सदस्य भी सम्मिलित होते हैं। भले ही यह मान भी लिया जाए कि अशोक सिंह के लापता होने या उसकी हत्या की घटना के लगभग डेढ़ माह बाद विनिता सिंह, अपने पति की तलाश के लिए, अनिल शर्मा के साथ ठहरी हो, जो उसे पहले से जानता था, तो भी इसे अपराध नहीं माना जा सकता, विशेषकर तब जब अपीलार्थी विनिता सिंह द्वारा मृतक के पिता को सूचना देने के बावजूद, मृतक के पिता अथवा अन्य परिजनों द्वारा अशोक सिंह की तलाश के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। ऐसी परिस्थितियों में अनिल शर्मा द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की सहायता या सहयोग को हत्या अथवा

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

षड्यंत्र का अपराध नहीं माना जा सकता। अपीलार्थीगण ने किसी व्यक्ति को मोटरसाइकिल नहीं बेची है और न ही उन्होंने कोई अपराध कारित किया है।

11. दूसरी ओर, राज्य पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलों का विरोध करते हुए तर्क दिया कि अशोक सिंह (अब मृतक), विनिता सिंह के साथ रह रहा था। उसके अनुसार, उसका पति दिनांक 27.01.2003 को घर से निकला और वापस नहीं लौटा, जिसकी सूचना उसने कुछ ही दिनों के भीतर अशोक सिंह के चचेरे भाई गिरिजनंद सिंह (अ.सा.-3) को दी। पुलिस ने उसे लगभग साढ़े चार माह बाद, दिनांक 17.06.2003 को गिरफ्तार किया। पति के घर से चले जाने के बाद वह कटघोरा स्थित लॉज गई और सह-अभियुक्त अनिल शर्मा के साथ ठहरी। उसने मार्च 2003 में मोटरसाइकिल बेच दी, जबकि उसके ही कथन के अनुसार उसका पति घर छोड़ते समय मोटरसाइकिल अपने साथ ले गया था; ऐसी स्थिति में उसके पास मोटरसाइकिल के कब्जे में न होने पर उसका विक्रय किया जाना संभव नहीं था। वह विभिन्न स्थानों पर गई और लॉज में ठहरी, किंतु उसने अपने पति की गुमशुदगी के संबंध में पुलिस को कोई सूचना नहीं दी। राज्य पक्ष के अनुसार, ये परिस्थितियाँ तथा अभियोजन द्वारा संकलित साक्ष्य संयुक्त रूप से यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हैं कि दोनों अपीलार्थीगण ने अशोक सिंह की हत्या करने हेतु षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र को आगे बढ़ाते हुए उसकी हत्या कारित की तथा दांडिक प्रकरण के साक्ष्यों को छिपाया। उन्होंने मृतक अशोक सिंह के कब्जे में रही मोटरसाइकिल/संपत्ति को डाकेश्वर कुमार को बेच दिया। ये तथ्य अपीलार्थीगण की उपर्युक्तानुसार दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त हैं और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों की विवेचना करने के पश्चात विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण को विधिसंगत रूप से दोषसिद्ध कर दंडित किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत तर्कों की विवेचना करने के लिए, हमने अभियोजन एवं बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया है।

13. रूपदास (अ.सा.-8) एवं माखनलाल (अ.सा.-9) के साक्ष्य के अनुसार, चचिया और तुलिपाली के बीच सड़क के किनारे एक अज्ञात पुरुष का शव पड़ा हुआ था, जिसकी सूचना रूपदास (अ.सा.-8) ने पुलिस को प्रदर्श पी./6 के माध्यम से दी। पुलिस ने प्रदर्श पी./7 के अंतर्गत मृत्यु समीक्षा तैयार किया। प्रदर्श पी./9 के अनुसार, मृत्यु समीक्षा के समय घटनास्थल से रक्तरंजित तथा साधारण मिट्टी, जूतों की

एक जोड़ी, मोज़ों की एक जोड़ी, आधा जला हुआ स्वेटर तथा आधा जला हुआ रक्त से सना अंतःवस्त्र बरामद किया गया। ये तथ्य अखण्डित नहीं किए गए हैं। डॉ. एस.ए. सिद्दीकी (अ.सा.-2) के अनुसार, उन्होंने अज्ञात शव का शवपरीक्षण प्रदर्श पी./2 के अंतर्गत किया और धारदार हथियार से लगी तेरह चोटें पाईं तथा शव आंशिक रूप से जला हुआ था। फोटोग्राफर अरविंद कश्यप (अ.सा.-17) ने अपने साक्ष्य में कहा कि उसने शव का फोटो वस्तु (आर्टिकल)-10 के रूप में लिया था। शव की बरामदगी, मृत्यु समीक्षा एवं शवपरीक्षण के समय शव अज्ञात था, किंतु शव पर पाए गए जूते एवं मोज़े, तथा घटना स्थल के पास मिले आधे जले हुए अंतःवस्त्र एवं स्वेटर मृत व्यक्ति के थे। लक्ष्मण सिंह (अ.सा.-1), जो मृतक अशोक सिंह के पिता हैं, के साक्ष्य के कंडिका-7 के अनुसार, उन्होंने मृतक के कपड़ों तथा वस्तु (आर्टिकल)-7 के अंतर्गत जले हुए शव के फोटोग्राफ को अपने पुत्र अशोक सिंह के कपड़े के रूप में पहचाना और वस्तु (आर्टिकल)-10 में दर्शाए गए दाँतों की विशेष बनावट के आधार पर शव की पहचान अपने पुत्र अशोक सिंह के रूप में की। उनके प्रतिपरीक्षण के कंडिका-11 में उन्होंने पुनः कहा कि उन्होंने अपने पुत्र का शव नहीं देखा, बल्कि केवल उसका फोटोग्राफ देखा है और दाँतों के आधार पर पहचान की है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि फोटोग्राफ में दिखाई देने वाले दाँत अन्य व्यक्तियों के शरीर में भी हो सकते हैं, किंतु उन्होंने स्पष्ट रूप से कथन दिया कि दाँतों के आधार पर उन्होंने शव के फोटोग्राफ को अपने पुत्र अशोक सिंह का ही माना है। बचाव पक्ष द्वारा मृतक के कपड़ों की पहचान के संबंध में कोई प्रश्न नहीं किया गया और किसी विपरीत परिस्थिति या साक्ष्य के अभाव में, विधिक रूप से यही एकमात्र अनुमान संभव है कि दिनांक 29.01.2003 को मिला शव लक्ष्मण सिंह (अ.सा.-1) के पुत्र एवं अपीलार्थी विनिता सिंह के पति अशोक सिंह का ही था। डॉ. एस.ए. सिद्दीकी (अ.सा.-2) के साक्ष्य के अनुसार मृत्यु मानव वध के प्रकृति की थी। अशोक सिंह की मृत्यु दिनांक 27.01.2003 से 29.01.2003 के बीच हुई, उसका शव चचिया एवं तुलिपाली के बीच सड़क के किनारे पाया गया और उसकी मृत्यु की प्रकृति मानव वध थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

14. जहाँ तक इस प्रकरण में अपीलार्थीगण की संलिप्तता का प्रश्न है, दोषसिद्धि मुख्यतः परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दोषसिद्धि के मामलों में अभियोजन पक्ष को निम्नलिखित परिस्थितियों को सिद्ध करना आवश्यक होता है—

(i) जिन परिस्थितियों के आधार पर दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे पूर्णतः स्थापित की जानी चाहिए। संबंधित परिस्थितियाँ “हो सकती हैं” नहीं, बल्कि “अवश्य हों / होनी चाहिए” के स्तर तक सिद्ध होनी चाहिए;

(ii) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के दोषी होने की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात् अभियुक्त के दोषी होने के अतिरिक्त किसी अन्य परिकल्पना से उनका स्पष्टीकरण संभव नहीं होना चाहिए;

(iii) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति एवं प्रवृत्ति की होनी चाहिए;

(iv) वे सिद्ध की जाने वाली परिकल्पना के अतिरिक्त प्रत्येक संभावित परिकल्पना को पूर्णतः अपवर्जित करती हों; तथा

(v) साक्ष्यों की श्रृंखला इतनी पूर्ण और अखंड होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप किसी भी युक्तिसंगत निष्कर्ष की कोई संभावना न रहे और सभी मानवीय संभावनाओं में यह स्पष्ट हो जाए कि उक्त कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया है।

15. वर्तमान प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित तथ्यों को सिद्ध करने का प्रयास किया है—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(i) अशोक सिंह, अपीलार्थी विनिता सिंह के साथ रह रहा था।

(ii) विनिता सिंह का अपीलार्थी अनिल सिंह के साथ प्रेम संबंध था।

(iii) दिनांक 27.01.2003 से अशोक सिंह अपनी मोटरसाइकिल सहित, अपीलार्थी विनिता सिंह के उस घर से, जहाँ वह अपनी पत्नी विनिता सिंह के साथ रह रहा था, लापता हो गया।

(iv) उसकी हत्या किया गया शव दिनांक 29.01.2003 को चचिया और तुलिपाली के बीच सड़क के किनारे पाया गया।

(v) अशोक सिंह की पत्नी विनिता सिंह ने अपनी गिरफ्तारी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई।

(vi) अपीलार्थी विनिता सिंह के कथन के अनुसार मृतक अशोक सिंह जिस मोटरसाइकिल को अपने साथ ले गया था, वही मोटरसाइकिल विनिता सिंह तथा वर्तमान अपीलार्थी अनिल शर्मा द्वारा स्वयं को अशोक सिंह बताकर डाकेश्वर कुमार (अ.सा.-13) को बेची गई।

(vii) वर्तमान अपीलार्थी अनिल शर्मा ने मोटरसाइकिल विक्रय हेतु करार प्रदर्श पी./12 निष्पादित किया, जिसमें उसने अशोक सिंह के रूप में हस्ताक्षर किए।

(viii) वर्तमान अपीलार्थी अनिल शर्मा, विनिता सिंह के साथ दिनांक 29.03.2003 से 31.03.2003 तक कटघोरा स्थित प्रताप लॉज में ठहरा, जहाँ अनिल शर्मा ने स्वयं को अशोक सिंह बताया तथा विनिता सिंह को अपने परिवार का सदस्य दर्शाया।

(ix) वर्तमान अपीलार्थीगण ने मोटरसाइकिल के विक्रय के समय पंजीयन पुस्तिका एवं बीमा पुस्तिका वस्तु (आर्टिकल-8 एवं 9) डाकेश्वर कुमार को प्रदान की।

(x) मोटरसाइकिल एवं चाकू की बरामदगी अपीलार्थी अनिल शर्मा के कथन के आधार पर की गई।

16. मृतक अशोक सिंह के चचेरे भाई गिरिजानंद सिंह (अ.सा.-3) के साक्ष्य के अनुसार, फरवरी 2003 में अपीलार्थी विनिता सिंह उनके घर आई और बताया कि उसके पति अशोक सिंह ने उसका घर छोड़ दिया है और कहा कि वह यमाहा क्रक्स मोटरसाइकिल से अपने पिता के बड़े भाई के घर, ग्राम खर्रा जा रहा है, लेकिन पिछले चार दिनों से वह वापस नहीं लौटा। इसके पश्चात उसने यह तथ्य लक्ष्मण सिंह (अ.सा.-1) को सुनाया कि अशोक सिंह दिनांक 27.01.2003 को यमाहा क्रक्स मोटरसाइकिल से खर्रा गया था और आज तक वापस नहीं आया। लक्ष्मण सिंह ने अपने पुत्र की तलाश की और अंततः थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। बचाव पक्ष ने इस साक्षी का विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया, किंतु इस तथ्य के संबंध में कोई प्रश्न नहीं किया कि अपीलार्थी विनीता सिंह ने उसे ऐसी कोई जानकारी नहीं दी थी। यहाँ तक कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने कथन में प्रश्न क्रमांक 8, 9 एवं 10 का उत्तर देते समय भी अपीलार्थी विनीता सिंह द्वारा इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया गया है।

17. अपीलार्थी विनिता सिंह की माता सुमित्रा सिंह (अ.सा.-5) ने अपने अभिसाक्ष्य के कंडिका-3 में कथन दिया कि 26 तारीख को ध्वजारोहण के बाद अशोक सिंह ने घर छोड़ दिया और गंगापुर से ग्राम खर्रापारा चला गया, लेकिन वापस नहीं लौटा। उन्होंने पुलिस थाना कोरबा में किए गए मृतक अशोक सिंह के वस्त्रों की पहचान के तथ्य (प्र.पी./1) की पुष्टि भी की। बचाव पक्ष ने इस साक्षी से यह प्रश्न नहीं किया कि 26 तारीख को उनके दामाद अशोक सिंह ने खर्रापारा जाने के लिए घर नहीं छोड़ा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

18. मृतक अशोक सिंह के पिता लक्ष्मण सिंह (अ.सा.-1) ने भी इस तथ्य की पुष्टि की कि उन्हें गिरिजानंद सिंह ने लगभग 2 या 3 फरवरी 2003 को सूचित किया कि अपीलार्थी विनिता सिंह ने उन्हें बताया कि अशोक सिंह मोटरसाइकिल से ग्राम खर्रा गया था, लेकिन वह वापस नहीं आया। उन्होंने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि इसके बाद वह ग्राम गंगापुर गए और अपीलार्थी विनिता सिंह से पूछताछ की। तब उसने बताया कि 27 जनवरी को प्रातः लगभग 6 बजे अशोक सिंह मोटरसाइकिल से खर्रा गया था, लेकिन वह वापस नहीं आया। इसके बाद उन्होंने अपीलार्थी विनिता सिंह से कहा कि वह उनके साथ बिशनपुर चलें, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया और कहा कि वह सोमवार को आएगी। इसके पश्चात उन्हें अपने पुत्र की मृत्यु की जानकारी हुई। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने विनिता सिंह को निर्देश दिया कि वह बिशनपुर में उनके पास रहे, तब उसने कहा कि सोमवार को आएगी, लेकिन वह नहीं आई। इसके बाद उन्होंने रविवार को पुनः गंगापुर गए, तब विनिता सिंह अपने घर पर नहीं थी और उन्हें पता चला कि वह अपीलार्थी अनिल शर्मा के साथ चली गई है। उन्होंने अपीलार्थी विनिता सिंह की माता से पूछा, तो उसने बताया कि वह उपचार हेतु अस्पताल गई है। जब पूछताछ की गई, तब पता चला कि वह अस्पताल नहीं गई थी, जिसके कारण उन्होंने अपीलार्थी विनिता सिंह की गतिविधियों पर संदेह किया। उनके प्रतिपरीक्षण के कंडिका -8 में उन्होंने यह भी कथन दिया कि अपीलार्थी अनिल शर्मा अक्सर अपने पुत्र अशोक सिंह और बहू विनिता सिंह के साथ उनके घर आया करते थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. मृतक अशोक सिंह के छोटे भाई सुभाष कुमार सिंह (अ.सा.-11) ने अपने भाई की गुमशुदगी और उसकी तलाश से संबंधित उक्त साक्षी के साक्ष्यों की पर्याप्त पुष्टि की।

20. मोटरसाइकिल की बिक्री से संबंधित दूसरे साक्ष्य के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने सुरेंद्र कुमार (अ.सा.-14) और डाकेश्वर कुमार (अ.सा.-13) का परीक्षण किया। बारपाली के ऑटो पार्ट्स शॉप के मालिक सुरेंद्र कुमार (अ.सा.-14) ने अपने अभिसाक्ष्य में बताया कि मार्च 2003 में वह अपनी दुकान में बैठे थे, तभी अपीलार्थी विनिता सिंह और वर्तमान अपीलार्थी अनिल शर्मा उनकी दुकान पर आए और यमाहा क्रक्स मोटरसाइकिल की मरम्मत के लिए अनुरोध किया। मोटरसाइकिल की मरम्मत की गई। अपीलार्थी अनिल शर्मा ने स्वयं को अशोक सिंह के रूप में परिचित कराया। इसके बाद उन्होंने मोटरसाइकिल बेचने की इच्छा दिखाई क्योंकि पहले उनके मित्र डाकेश्वर कुमार (अ.सा.-13) ने भी मोटरसाइकिल खरीदने की इच्छा जताई थी। उन्होंने डाकेश्वर कुमार को बताया कि वर्तमान अपीलार्थी अनिल शर्मा, जिसने स्वयं को अशोक सिंह बताया है, मोटरसाइकिल बेचने के लिए तैयार है। इसके बाद

बारपाली में बातचीत हुई। डाकेश्वर कुमार (अ.सा.-13) अपीलार्थीगण के साथ बाल्कों गए। वहां अपीलार्थी अनिल शर्मा ने भी स्वयं को अशोक सिंह बताया और उनके सामने मोटरसाइकिल को 18,500/- रुपये में बेचने पर सहमति दी। इसके पश्चात डाकेश्वर कुमार ने 15,000/- रुपये का भुगतान किया और शेष 3,500/- रुपये, वाहन के स्वामी विनिता सिंह द्वारा आरटीओ में हस्ताक्षर करने के समय भुगतान करने पर सहमति दी। उन्होंने अपीलार्थीगण को कोरबा बस स्टैंड बुलाया, लेकिन वे वहाँ नहीं पहुंचे, उस समय विक्रय पत्र पी./12 लिखा गया और अनिल शर्मा ने अशोक सिंह के नाम पर उस पर हस्ताक्षर किए। डाकेश्वर कुमार (अ.सा.-13) ने सुरेंद्र कुमार (अ.सा.-14) के साक्ष्य की पुष्टि की और यह भी बताया कि दस्तावेज़ प्र.पी./12 अपीलार्थी अनिल शर्मा के निर्देशन पर लिखा गया। कुछ समय पश्चात पुलिस आई और पूछताछ की, तब उसने सूचित किया कि उसने वाहन अशोक सिंह से खरीदा है। इसके पश्चात वाहन प्र.पी./13 के अंतर्गत जब्त किया गया। सुरेंद्र कुमार (अ.सा.-14) ने अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका-5 में अभिसाक्ष्य दिया कि प्र.पी./12 की सील डाकेश्वर कुमार (अ.सा.-13) ने बाल्कों से लाया था। कंडिका-6 में उन्होंने इस सुझाव को खंडित किया कि वर्तमान अपीलार्थी अनिल शर्मा बातचीत के समय उपस्थित नहीं थे और इस सुझाव को भी खंडित किया कि विनिता सिंह के पति अशोक सिंह उपस्थित थे और भुगतान किया। बचाव पक्ष ने डाकेश्वर कुमार (अ.सा.-13) का विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने विशेष रूप से अभिसाक्ष्य दिया कि उन्होंने वाहन अपीलार्थी अनिल शर्मा से खरीदी, जिसने स्वयं को अशोक सिंह बताया और प्र.पी./12 पर अशोक सिंह के नाम से हस्ताक्षर किए।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

21. निश्चित रूप से, वर्तमान अपीलार्थी अनिल शर्मा को इस साक्षी द्वारा सीधे पहचानने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था, किंतु न्यायालय में साक्ष्य के समय अपीलार्थी विनिता सिंह और अनिल शर्मा की पहचान की गई। पहचान कार्यवाही सारभूत साक्ष्य है और परीक्षण पहचान परेड संपोषक साक्ष्य है, जो विवेचना सही दिशा में जा रही है, यह सुनिश्चित करने के लिए लिया जाता है। परीक्षण पहचान परेड का न होना स्वयं में अभियोजन के लिए घातक नहीं है, यदि साक्षियों ने न्यायालय में साक्ष्य के दौरान पहले देखे गए अवसर के आधार पर अभियुक्तों की पहचान की हो। इन साक्षियों के साक्ष्य स्पष्ट रूप से बताते हैं कि उन्होंने अपीलार्थीगण को संयोगवश नहीं देखा, बल्कि दोनों अपीलार्थी सुरेंद्र कुमार (अ.सा.-14) की दुकान में लंबी अवधि तक उपस्थित थे, मोटरसाइकिल की मरम्मत करवाई, मोटरसाइकिल बेचने की चर्चा की और फिर बाल्को तक गए तथा प्र.पी./12 तैयार किया गया और अनिल शर्मा ने अशोक सिंह के रूप में उस पर हस्ताक्षर किए। यह साक्ष्य दर्शाता है कि सुरेंद्र कुमार (अ.सा.-14) और डाकेश्वर कुमार

(अ.सा.-13) को अपीलार्थीगण को देखने, उनके व्यवहार का निरीक्षण करने और मोटरसाइकिल की कीमत देने के लिए हस्ताक्षर लेने का पर्याप्त अवसर मिला, जो उनकी पहचान के लिए पर्याप्त समय था। सुरेंद्र कुमार (अ.सा.-14) और डाकेश्वर कुमार (अ.सा.-13) के साक्ष्य से यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वर्तमान अपीलार्थी विनिता सिंह और अनिल शर्मा ने यमाहा क्रक्स क्र. C.G.15-2191, डाकेश्वर कुमार (अ.सा.-13) को बेची, जिसमें अनिल शर्मा ने स्वयं को अशोक सिंह, विनिता सिंह के पति के रूप में प्रस्तुत किया। दिनांक 16.03.2003 को कटघोरा से विनिता सिंह के नाम पर सील भी खरीदी गई, जो अपीलार्थीगण की गिरफ्तारी से काफी पहले हुई। इससे स्पष्ट होता है कि प्र.पी./12 अपीलार्थीगण की गिरफ्तारी के बाद गढा हुआ दस्तावेज़ नहीं है।

22. कटघोरा स्थित प्रताप लॉज में अपीलार्थीगण के ठहरने से संबंधित अन्य साक्ष्यों के संदर्भ में, अभियोजन पक्ष ने प्रताप लॉज, कटघोरा के प्रबंधक लालचंद (अ.सा.-19) का परीक्षण किया। उन्होंने अपने अभिसाक्ष्य में बताया कि वर्तमान अपीलार्थी अनिल शर्मा, अपीलार्थी विनिता सिंह के साथ दिनांक 29.03.2003 को उनकी लॉज में आया, जहाँ वे ठहरे और पुलिस ने लॉज की पुस्तिका प्र.पी./11 के अंतर्गत जब्त किया। सिद्धार्थ (अ.सा.-12) ने अपने अभिसाक्ष्य में बताया कि पुलिस ने दिनांक 29.03.2003 की प्रविष्टि से संबंधित वस्तु (आर्टिकल) -7 जब्त किया, जिसमें यह दर्शाया गया कि सुरजपुर के अशोक सिंह उक्त लॉज में ठहरे थे, जिसे प्र.पी./11 के अंतर्गत जब्त किया गया। उनके अनुसार उन्होंने अभियुक्तों को स्वयं नहीं देखा। बचाव पक्ष ने इस साक्षी का विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया। उन्होंने विशेष रूप से यह कथन दिया कि अपीलार्थी उनके लॉज में ठहरे थे। अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका-7 में उन्होंने यह सुझाव खंडित किया कि अपीलार्थी अनिल शर्मा और अपीलार्थी विनिता सिंह उनके लॉज में नहीं ठहरे।

23. दुर्गा प्रसाद राठिया (ब.सा.-1) ने अभिसाक्ष्य दिया कि पुलिस ने उनसे यह कहकर कागज़ों पर हस्ताक्षर करवाए कि उन्होंने अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और चाकू जब्त किया है, लेकिन वास्तव में पुलिस ने उनके सामने कोई वस्तु जब्त नहीं की। उनके साक्ष्य के अनुसार, वह जिला पंचायत की बैठक में शामिल होने के बाद लौट रहे थे और ऐसा प्रतीत होता है कि वह योग्य व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने साक्ष्य में यह नहीं बताया कि जब उनके सामने कोई वस्तु जब्त नहीं की गई थी, तो उन्होंने कागज़ों पर हस्ताक्षर

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

कैसे किए। यह दर्शाता है कि वह सत्य को छिपा रहे हैं और उनका साक्ष्य न तो बचाव पक्ष के पक्ष में और न ही अभियोजन पक्ष के पक्ष में उपयोग किया जा सकता है।

24. सुमित्रा सिंह (अ.सा.-5), अपीलार्थी विनिता सिंह की माता और मृतक अशोक सिंह की सास ने अभिसाक्ष्य दिया कि उनके दामाद अशोक सिंह खर्रा गए, लेकिन वापस नहीं लौटे। अभियोजन पक्ष ने उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया। उनके साक्ष्य के कंडिका-6 में उन्होंने अभिसाक्ष्य दिया कि अशोक सिंह और अपीलार्थी अनिल शर्मा के बीच मित्रता थी और वे एक-दूसरे के घर जाते रहते थे। इस तथ्य का बचाव पक्ष द्वारा खंडन नहीं किया गया और यह तथ्य सुमित्रा सिंह (अ.सा.-5) के साक्ष्य में अप्रमाणित है। तथापि, प्रश्न क्रमांक 5 एवं 6 का उत्तर देते समय अपीलार्थी अनिल शर्मा ने इस तथ्य से इंकार किया है कि वह अशोक सिंह के घर जाया करता था तथा अशोक सिंह उसके घर आया करता था। इसी प्रकार, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने कथन में प्रश्न क्रमांक 5 एवं 6 का उत्तर देते समय अपीलार्थी विनीता सिंह ने भी इस तथ्य से इंकार किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. आपराधिक षड्यंत्र के मामलों में, सामान्यतः षड्यंत्रकारी के विरुद्ध प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता और न्यायालयों को षड्यंत्र के संपन्न होने, मस्तिष्क का मिलान और परिणाम से संबंधित संपूर्ण परिस्थितियों पर विचार करना आवश्यक होता है।

26. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य निम्नलिखित तथ्यों को सिद्ध करते हैं:

(i) अशोक सिंह दिनांक 27.01.2003 को अपने घर, गंगापुर में उपस्थित थे और वह अपनी पत्नी, अपीलार्थी विनिता सिंह के साथ गंगापुर में रह रहे थे।

(ii) वर्तमान अपीलार्थी अनिल शर्मा अक्सर अशोक सिंह के घर जाते थे और अशोक सिंह भी उनके घर जाते थे, लेकिन दोनों अपीलार्थीगण ने धारा 313 के तहत अपने परीक्षण में इस तथ्य को जानबूझकर अस्वीकार किया।

(iii) दिनांक 27.01.2003 से मृतक अशोक सिंह अपनी यमाहा क्रक्स मोटरसाइकिल के साथ लापता थे। दिनांक 29.01.2003 को गंभीर रूप से आहत और आधा जला हुआ शव चचिया

और तुलिपाली के बीच सड़क किनारे पाया गया। शव को मृतक के वस्त्रों और उसके पास पाई गई वस्तुओं के आधार पर अशोक सिंह के शव के रूप में पहचान किया गया।

(iv) चिकित्सा साक्ष्य के अनुसार, अशोक सिंह की मृत्यु मानववध थी।

(v) अपीलार्थी विनिता सिंह ने अशोक सिंह के चचेरे भाई, गिरिजनंद सिंह (अ.सा.-3) को दिनांक 27.01.2003 को कुछ दिनों बाद यह सूचना दी कि अशोक सिंह मोटरसाइकिल से खर्रा गए हैं, जो बिशनपुर गांव का निवासी है, जहाँ मृतक अशोक सिंह का पिता रह रहे थे।

(vi) गिरिजानंद सिंह (अ.सा.-3) ने उक्त तथ्य अशोक सिंह के पिता, लक्ष्मण सिंह (अ.सा.-1) को सूचित किया।

(vii) लक्ष्मण सिंह ने अपने पुत्र की खोज की और अपीलार्थी विनिता सिंह के घर, गंगापुर गये तथा उनसे पूछताछ की।

(viii) अपीलार्थी विनिता सिंह ने उन्हें बताया कि दिनांक 27.01.2003 को प्रातः लगभग 6 बजे अशोक सिंह यमाहा क्रक्स मोटरसाइकिल से खर्रा के लिए घर से निकले थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ix) लक्ष्मण सिंह ने अपीलार्थी विनिता सिंह को अपने घर आने का निर्देश दिया, तब उसने कहा कि वह सोमवार को आएगी, लेकिन वह बिशनपुर स्थित लक्ष्मण सिंह के घर नहीं गई।

(x) लक्ष्मण सिंह ने फिर रविवार को गंगापुर, अपीलार्थी विनिता सिंह के निवास गये, तब विनिता सिंह अपने घर पर नहीं थी।

(xi) लक्ष्मण सिंह को सूचित किया गया कि विनिता सिंह अनिल शर्मा के साथ चली गई है। जब लक्ष्मण सिंह ने अपीलार्थी विनिता सिंह की माता सुमित्रा सिंह (अ.सा.-5) से पूछा, तो उन्होंने बताया कि वह यह कहकर चली गई कि वह इंजेक्शन लेने जा रही है।

(xii) लक्ष्मण सिंह ने अपीलार्थी विनिता सिंह के मामा से पूछताछ की, तब उन्हें बताया गया कि विनिता सिंह अस्पताल नहीं गई।

(xiii) उपर्युक्त परिस्थितियों में, लक्ष्मण सिंह को अपीलार्थी विनिता सिंह की गतिविधियों पर संदेह हुआ।

(xiv) दिनांक 16.03.2003 को दोनों अपीलार्थीगण के पास यमाहा क्रक्स मोटरसाइकिल क्र. C.G.15-2191 थी, जिसे मृतक अशोक सिंह ने अपनी पत्नी विनिता सिंह के कथन के अनुसार

लिया था, जैसा कि लक्ष्मण सिंह (अ.सा.-1) और गिरिजानंद सिंह (अ.सा.-3) से प्राप्त कथनों में कहा गया।

(xv) अपीलार्थीगण ने मोटरसाइकिल डाकेश्वर कुमार (अ.सा.-13) को बेची। मोटरसाइकिल की मरम्मत और बिक्री के समय अपीलार्थी अनिल शर्मा ने अपीलार्थी विनिता सिंह की उपस्थिति में डाकेश्वर कुमार (अ.सा.-13) और सुरेंद्र कुमार (अ.सा.-14) के समक्ष स्वयं को अशोक सिंह के रूप में प्रस्तुत किया।

(xvi) अपीलार्थी अनिल शर्मा ने मोटरसाइकिल की बिक्री नामा प्र.पी./12 निष्पादित किया और अशोक सिंह के रूप में हस्ताक्षर किए।

(xvii) दिनांक 29.03.2003 को अपीलार्थी अनिल शर्मा और अपीलार्थी विनिता सिंह प्रताप लॉज, कटघोरा गए और दिनांक 31.03.2003 तक वहाँ ठहरे। दोनों अपीलार्थीगण ने अनिल शर्मा को अशोक सिंह और अपीलार्थी विनिता सिंह को अशोक सिंह के परिवार का सदस्य बताया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. यदि उपर्युक्त परिस्थितियों पर समग्र रूप से विचार किया जाए, तो केवल यही निष्कर्ष निकलता है कि दोनों अपीलार्थियों ने यह झूठा स्पष्टीकरण दिया है कि अनिल शर्मा, अपीलार्थी अशोक सिंह के घर अथवा अशोक सिंह के पिता के घर नहीं जाता था। अशोक सिंह की हत्या दिनांक 27.01.2003 से 29.01.2003 के बीच की गई। अपीलार्थी अनिल शर्मा को अपीलार्थी विनीता सिंह के घर आने-जाने की आदत थी। अपने पति अशोक सिंह के लापता होने की सूचना पुलिस को देने या सीधे अपने ससुर को सूचित करने के बजाय अपीलार्थी विनीता सिंह ने इस संबंध में गिरिजानंद सिंह (अ.सा.-3) को सूचना दी। उसने अपने ससुर के साथ जाने से इंकार कर दिया और अल्प समय के भीतर ही वह अपना घर छोड़कर अपीलार्थी अनिल शर्मा के साथ चली गई तथा अपनी माता सुमित्रा सिंह (अ.सा.-5) को यह झूठी सूचना दी कि वह अस्पताल में इंजेक्शन लगवाने जा रही है। वह मोटरसाइकिल, जो यदि मृतक अशोक सिंह उसे लेकर गया होता तो उपर्युक्त अपीलार्थियों के कब्जे में नहीं हो सकती थी, दोनों अपीलार्थियों के कब्जे में पाई गई, जिसे उन्होंने दिनांक 16.03.2003 को डाकेश्वर कुमार (अ.सा.-13) को बेच दिया, जिसमें अपीलार्थी अनिल शर्मा को अशोक सिंह के रूप में परिचित कराया गया। पुनः दिनांक 29.03.2003 को दोनों अपीलार्थियों ने स्वयं को मृतक अशोक सिंह के परिवारजन बताते हुए

तथा अनिल शर्मा को अपीलार्थी विनीता सिंह का पति अशोक सिंह बताकर प्रस्तुत किया और वे तीन दिनों तक वहाँ ठहरे। उनके द्वारा किसी लॉज में ठहरने का कोई औचित्य नहीं था।

28. ये परिस्थितियाँ केवल यह निष्कर्ष देती हैं और इंगित करती हैं कि दोनों अपीलार्थीगण ने अवैध करार में प्रवेश किया और अशोक सिंह की हत्या के लिए षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र के परिणामस्वरूप अशोक सिंह की हत्या कर दी गई। इस तथ्य को भली-भांति जानते हुए कि अशोक सिंह मारे गए हैं, वर्तमान अपीलार्थीगण ने अशोक सिंह के पिता और अन्य रिश्तेदारों सहित अपीलार्थी विनिता सिंह की माता को भ्रमित करने का प्रयास किया। अशोक सिंह की हत्या के तथ्य को जानते हुए उन्होंने मृतक की संपत्ति, अर्थात् अशोक सिंह की मोटरसाइकिल, बेच दी।

29. इन परिस्थितियों में केवल यही निष्कर्ष निकालना संभव होगा कि वर्तमान अपीलार्थी ही वे व्यक्ति हैं जिन्होंने आपराधिक षड्यंत्र को आगे बढ़ाते हुए अशोक सिंह की हत्या कारित की, जो कि हत्या की श्रेणी में आने वाला आपराधिक मानव वध है, तथा मृतक की संपत्ति, जो उसके कब्जे में थी, अपने कब्जे में रखी और उसे विक्रय कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों की विवेचना करने के बाद, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी अनिल शर्मा को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 302, 120-ख, 201 और 404 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया और अपीलार्थी विनिता सिंह को धाराओं 302/34, 120-ख, 201/34 और 404 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया तथा उन्हें उपर्युक्तानुसार दण्डित किया है। अपीलार्थियों की दोषसिद्धि विश्वसनीय, ठोस एवं विधिसंगत साक्ष्यों पर आधारित है, जो विधि के अंतर्गत संधारणीय है।

31. साक्ष्यों की सूक्ष्म एवं गहन विवेचन करने पर हम अपीलार्थियों पर अधिरोपित दोषसिद्धि एवं दण्ड में कोई भी अवैधता नहीं पाते है।

32. परिणामस्वरूप, दांडिक अपील क्रमांक 572/2004 और 559/2008 निराधार एवं गुण-दोष से रहित होने के कारण खारिज किए जाने योग्य हैं और तदनुसार उन्हें खारिज किया जाता है।

सही/-
टी.पी. शर्मा
न्यायाधीश

सही/-
आर.एल. झंवर
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By ..... Vijay Kumar Sahu, Advocate

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur